

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 12/2022(2022/39)

अनवान : -

1. तेजसिंह पुत्र जवाहरलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
वादी

बनाम

1. जवाहरलाल पुत्र हरपाल सिंह जाति यादव नि. चक भोजासर तहसील भादरा।
2. सत्यप्रकाश पुत्र जवाहरलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
3. मायादेवी पुत्री जवाहरलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
4. सरताज पुत्री जवाहरलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री सुरेन्द्र बैनीवाल वादी
श्री विनोद शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 01/4/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं. 21/18 के मु.न. 42 के किला न. 16 ता 18, 23 ता 25, एवं मु.न. 43 किला न. 17 ता 20 कुल किता 10 की 2.530 हैक्टर बरानी खातेदारी में प्रतिवादी जवाहरलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं. 20/124 के मु.न. 31 के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, मु.न. 32 के किला न. 3 ता 8 कुल किता 16 की 3.492 हैक्टर नहरी बरानी मय रास्ता प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 डीपीएन के खाता सं. 28/42 की 2.596 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 01 जवाहरलाल के नाम 1/3 हिस्सा एवं चक 2 डीपीएन के खाता सं. 51/43 की 0.026 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 2 डीपीएन के खाता सं. 52/44 की 2.656 हैक्टर नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते हैं। वाद भूमि हिन्दू अविभाजित सम्पति है जिसमें वादी का भी प्रतिवादीगण के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी जवाहरलाल के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज चली आ रही है। वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था, जिसमें प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया तथा वादभूमि में से चक 1 एमएसआर व चक 2 एमएसआर में प्रतिवादी जवाहरलाल के नाम दर्ज खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के हिस्सा में बहिस्सा बराबर के अनुसार आ गई तथा चक 2 डीपीएन के तीनों खातों में दर्ज खातेदारी प्रतिवादी जवाहरलाल के

BT
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हिस्सा में आ गई तथा इसी अनुसार वादभूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु चक 1 व 2 एमएसआर वाली भूमि भी प्रतिवादी जवाहरलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हकों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी तेजसिंह पुत्र जवाहरलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादराके साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 1 एमएसआर संवत 2076-79 प्रदर्श 1, जमाबंदी 2 एमएसआर संवत 2073-76 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 2 डीपीएन संवत 2075-78 प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 2 डीपीएन खाता सं. 52/44 संवत 2075-78 प्रदर्श 4, जमाबंदी चक 2 डीपीएन खाता सं. 51/43 संवत 2075-78 प्रदर्श 5, जमाबंदी खतौनी 2 एमएसआर प्रदर्श 6, जमाबंदी खतौनी 1 एमएसआर संवत 2044 प्रदर्श 7, जमाबंदी खतौनी चक 01 एमएसआर प्रदर्श 8, असल सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं. 21/18 के मु.न. 42 के किला न. 16 ता 18, 23 ता 25, एवं मु. न. 43 किला न. 17 ता 20 कुल किता 10 की 2.530 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जवाहरलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं. 20/124 के मु.न. 31 के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, मु.न. 32 के किला न. 3 ता 8 कुल किता 16 की 3.492 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 डीपीएन के खाता सं. 28/42 की 2.596 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 01 जवाहरलाल के नाम 1/3 हिस्सा एवं चक 2 डीपीएन के खाता सं. 51/43 की 0.026 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 2 डीपीएन के खाता सं. 52/44 की 2.656 हैक्टर नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। जिसमें वाद भूमि चक 1 एमएसआर व 2 एमएसआर की कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादियां सं. 03 व 04 ने अपना हक वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 के हिस्से में त्याग कर शून्य कर लिया, एवं चक 2 डीपीएन के समस्त खातों की कृषि भूमि प्रतिवादी जवाहरसिंह के नाम यथावत रखी जानी है, जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।


अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं. 21/18 के मु.न. 42 के किला न. 16 ता 18, 23 ता 25, एवं मु.न. 43 किला न. 17 ता 20 कुल किता 10 की 2.530 हैक्टर बारानी

अध्यक्षकारी (राज्य)
मादय (जिला-रतुनालमंडी)

खातेदारी में प्रतिवादी जवाहरलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं. 20/124 के मु.न. 31 के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, मु.न. 32 के किला न. 3 ता 8 कुल कित्ता 16 की 3.492 हैक्टर नहरी बरानी मय रास्ता प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 डीपीएन के खाता सं. 28/42 की 2.596 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 01 जवाहरलाल के नाम 1/3 हिस्सा एवं चक 2 डीपीएन के खाता सं. 51/43 की 0.026 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 2 डीपीएन के खाता सं. 52/44 की 2.656 हैक्टर नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उसमें से चक 1 एमएसआर के खाता सं. 21/18 के मु.न. 42 के किला न. 16 ता 18 , 23 ता 25, एवं मु.न. 43 किला न. 17 ता 20 कुल कित्ता 10 की 2.530 हैक्टर बरानी खातेदारी में से एवं चक 2 एमएसआर के खाता सं. 20/124 के मु.न. 31 के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, मु.न. 32 के किला न. 3 ता 8 कुल कित्ता 16 की 3.492 हैक्टर नहरी बरानी मय रास्ता वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 01 जवाहरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी तेजसिंह एवं प्रतिवादी सं. 2 सत्यप्रकाश बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चक 2 डीपीएन में प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि को यथावत दर्ज रखा जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/04/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 12/2022(2022/39)

अनवान : -

1. तेजसिंह पुत्र जवाहरलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
वादी

बनाम

1. जवाहरलाल पुत्र हरपाल सिंह जाति यादव नि. चक भोजासर तहसील भादरा।
2. सत्यप्रकाश पुत्र जवाहरलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
3. मायादेवी पुत्री जवाहरलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
4. सरताज पुत्री जवाहरलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।
प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं. 21/18 के मु.न. 42 के किला न. 16 ता 18, 23 ता 25, एवं मु.न. 43 किला न. 17 ता 20 कुल कित्ता 10 की 2.530 हैक्टर बरानी खातेदारी में प्रतिवादी जवाहरलाल के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 एमएसआर के खाता सं. 20/124 के मु.न. 31 के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, मु.न. 32 के किला न. 3 ता 8 कुल कित्ता 16 की 3.492 हैक्टर नहरी बरानी मय रास्ता प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 2 डीपीएन के खाता सं. 28/42 की 2.596 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 01 जवाहरलाल के नाम 1/3 हिस्सा एवं चक 2 डीपीएन के खाता सं. 51/43 की 0.026 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 2 डीपीएन के खाता सं. 52/44 की 2.656 हैक्टर नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उसमें से चक 1 एमएसआर के खाता सं. 21/18 के मु.न. 42 के किला न. 16 ता 18, 23 ता 25, एवं मु.न. 43 किला न. 17 ता 20 कुल कित्ता 10 की 2.530 हैक्टर बरानी खातेदारी में से एवं चक 2 एमएसआर के खाता सं. 20/124 के मु.न. 31 के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, मु.न. 32 के किला न. 3 ता 8 कुल कित्ता 16 की 3.492 हैक्टर नहरी बरानी मय रास्ता वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 01 जवाहरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी तेजसिंह एवं प्रतिवादी सं. 2 सत्यप्रकाश वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चक 2 डीपीएन में प्रतिवादी सं. 1 जवाहरलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि को यथावत दर्ज रखा जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/11/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुंतला चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़